



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

34

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

निं. 3407/PBR/15

1. रामसहाय पुत्र स्व. प्रभूदयाल
2. श्रीमती विमला पुत्री स्व. प्रभूदयाल
निवासीगण ग्राम कछौआ तहसील चीनौर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. केशवदयाल पुत्र स्व. प्रभूदयाल
2. दीनदयाल पुत्र स्व. प्रभूदयाल
3. शिवसहाय पुत्र स्व. प्रभूदयाल
निवासीगण ग्राम कछौआ तह. चीनौर जिला
ग्वालियर
4. श्रीमती चन्द्रा पुत्री स्व. प्रभूदयाल
पत्नी स्व. विमला शर्मा निवासी लोहामण्डी
किलागेट ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग भितरवार जिला
ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 46/12-13 अपील में पारित आदेश
पत्रिका दिनांक 27.01.2015 एवं 24.02.2015 के विरुद्ध म.प्र. मू.
राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, आवेदकगण के पिता प्रभूदयाल मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है। स्व. प्रभूदयाल की मृत्यु के पश्चात आवेदकगण तथा अनावेदकगण उनके वैध वारिश है।

(Signature)
2/15

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3407/पीबीआर2015

जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-8-18	<p>आवेदक रामसहाय शर्मा स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा आगे नहीं चलाये जाने के अनुरोध पर वापिस चाहा गया। विचारोपरांत प्रकरण आवेदक के निवेदन वापिस किया जाता है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>